

[2024] 1 एस.सी.आर. 211 : 2024 आईएनएससी 4

वाद का विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

बनाम

सर्वोच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का संघ एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 23-24 सन् 2024)

03 जनवरी 2024

[मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा]

विचारार्थ मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश देने की शक्ति थी; क्या उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ इस आधार पर आपराधिक अवमानना की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है कि रिकॉल आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था; और अदालतों द्वारा अदालत के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति का निर्देश देने के वृहद दिशानिर्देश के संबंध में।

हेडनोट्स

भारत का संविधान – अनुच्छेद 226, 229 – सरकारी अधिकारियों को तलब करना – आपराधिक अवमानना का प्रयोग – प्रथम प्रत्यर्थी – एसोसिएशन द्वारा घरेलू सहायक और अन्य खर्चों के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को दिए जाने वाले भत्ते में वृद्धि की मांग करते हुए रिट याचिका – उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश जारी करना कि वह अन्य बातों के साथ-साथ 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायक' से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को सुनवाई की अगली तारीख तक अधिसूचित करे – यह भी निर्देशित किया गया यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो कुछ अधिकारियों को अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा – उपरोक्त आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए राज्य द्वारा रिकॉल आवेदन दायर किया जाना – उच्च न्यायालय ने धारित किया कि रिकॉल आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था और सचिव (वित्त) और विशेष सचिव (वित्त) सहित सरकार के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की गई –

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

साथ ही सचिव (वित्त) और विशेष सचिव (वित्त) सहित अदालत में मौजूद अधिकारियों को हिरासत में लिया गया और जमानती वारंट जारी किया गया- सत्यता :

धारित किया गया : उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी - उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ इस आधार पर आपराधिक अवमानना की शक्ति लागू नहीं की जा सकती थी कि पहले के आक्षेपित आदेश को वापस लेने का आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था। - अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार बुलाने का उच्च न्यायालय का आचरण अनुचित है - उच्च न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करना, जिन्हें पहले तलब भी नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा सरकार पर अनुचित दबाव डालने के प्रयास को इंगित करता है - इस प्रकार, दोनों आक्षेपित आदेश अपास्त किए गए - इस न्यायालय द्वारा अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई [पैरा 46, 47]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 229(2) - उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाना- सत्यता :

धारित किया गया : उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी - मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 229 के तहत उक्त नियमों को तैयार में सक्षम नहीं थे। - अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करते हुए उच्च न्यायालय कार्यपालिका के कार्यों को नहीं छीन सकता और कार्यपालिका को इसके द्वारा निर्देशित तरीके से नियम निर्माण शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है - पहले आक्षेपित आदेश में राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख तक नियमावली को अनिवार्य रूप से अधिसूचित करने के लिए बाध्य करना, वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने के लिए परमादेश की रिट जारी करने के समान था - उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश अस्वीकार्य हैं और संविधान द्वारा परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत हैं - उच्च न्यायालय, न्यायिक पक्ष पर कार्य करते हुए, राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग कर बनाए गए प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है- इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने नियमावली पर विचार करने में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को बार-बार तलब करके और आपराधिक अवमानना की धमकी के तहत एक निश्चित तिथि तक नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश देकर अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया। [पैरा 25, 26, 28-30, 46 ए]

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 – आपराधिक अवमानना – का आरंभ किया जाना – उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा कानूनी उपायों का लाभ उठाना और आदेश को कानूनी चुनौती देना – उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों के खिलाफ इस आधार पर आपराधिक अवमानना का प्रयोग कि रिकॉल आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था – सत्यता :

धारित किया गया : उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ इस आधार पर आपराधिक अवमानना की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था कि पहले आक्षेपित आदेश को वापस लेने का आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था – उच्च न्यायालय ने आपराधिक अवमानना का प्रयोग करके जल्दबाजी में काम किया। सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लिया गया जो कि अवांछित था – अधिकारियों के कार्य 'आपराधिक अवमानना' और 'सिविल अवमानना' दोनों के मानकों को पूरा नहीं करते – दूसरे आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों के कार्यों से आपराधिक अवमानना हुई क्योंकि पहले के आदेश का पालन न करने का कोई "वैध कारण" नहीं था, जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ 'उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीशों के घरेलू सहायकों' से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को सुनवाई की अगली तारीख तक अधिसूचित करने का निर्देश दिया था – भले ही उच्च न्यायालय का आकलन सही माना जाए, पहले आक्षेपित आदेश का अनुपालन न करना अधिक से अधिक, सिविल अवमानना हो सकती है – उच्च न्यायालय इसका कोई तर्क नहीं दे सका कि कैसे पहले आक्षेपित आदेश का अनुपालन करने में विफलता आपराधिक अवमानना के मानक को पूरा करने की प्रकृति की थी, जबकि सिविल अवमानना के मानक भी पूरे नहीं होते – अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करते समय, अदालत को इस पर बड़ी सावधानी से कार्रवाई करनी चाहिए – केवल तभी जब अवमाननापूर्ण आचरण का स्पष्ट मामला हो कि कथित अवमाननाकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए – अवमानना कार्यवाही शुरू करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति का उपयोग पक्षकारों या उनके अधिवक्ता को कानूनी उपायों का लाभ उठाने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा 33-36, 46 ख]

तलब करना – अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों को तलब करना – अदालतों के लिए व्यापक दिशानिर्देश :

धारित किया गया : ऐसे मामलों में जहां सरकार एक पक्ष है, अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों को तलब करना नियमित कार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और केवल सीमित परिस्थितियों में ही इसका सहारा लिया जा सकता है – अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार तलब करने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है – सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारियों या हलफनामे पर सरकार की दलीलों पर भरोसा करने के बजाय अधिकारियों को बार-बार बुलाना, संविधान द्वारा परिकल्पित योजना के विपरीत हैं –

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अदालतों को सरकारी अधिकारियों को उपस्थिति रहने के लिए कहने से पहले विधि अधिकारियों की भूमिका का संज्ञान होना चाहिए – विधि अधिकारी अदालतों और सरकार के बीच संपर्क के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं – राज्य सरकार द्वारा हलफनामे पर ली गई कानूनी स्थिति पर निर्णय देने या अदालत में मौजूद अपर महाधिवक्ता को सुनने के बजाय, उच्च न्यायालय ने बार-बार सरकारी अधिकारियों को तलब किया – सरकार को नियमों को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया गया – ऐसी स्थितियां से बचा जा सकता है जहां हलफनामे पर दलीलें मांगी जा सकती हैं और सरकार के विधि अधिकारी इंस्ट्रक्शन के साथ अदालत में मौजूद हैं, – अदालतों को पहले उपाय के रूप में अधिकारियों को तलब करने से बचना चाहिए – इसलिए, विशेष रूप से अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई है। [पैरा 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46 सी]

चलन और प्रक्रिया – अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति – मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण :

धारित किया गया : अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर एसओपी अदालतों द्वारा निरंतरता और संयम बरतने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देती है – इसका उद्देश्य एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करना है जिससे अदालतें सरकारी अधिकारियों को मनमाने ढंग से और बार-बार तलब करने से दूर रहें और उनके कामकाज में परिपक्वता को बढ़ावा मिले – देश भर की सभी अदालतों द्वारा पालन के लिए बनाई गई एसओपी – सभी उच्च न्यायालय तैयार की गई एसओपी को ध्यान में रखते हुए, अदालत में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए नियम बनाने पर विचार करें। [पैरा 45, 46 डी]

भारत का संविधान – अनुच्छेद 76 और 165 – विधि अधिकारी-भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्य के महाधिवक्ता – की भूमिका :

धारित किया गया : अनुच्छेद 76 के तहत, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है – इसी तरह, अनुच्छेद 165 के तहत, महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है – कई अन्य विधि अधिकारी भी संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें सॉलिसिटर जनरल, अपर सॉलिसिटर जनरल और राज्यों के लिए अपर महाधिवक्ता शामिल हैं – वे अन्य बातों के अलावा सरकार के विभिन्न विभाग से निर्देश प्राप्त करते हैं और अदालतों के समक्ष सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं – अदालतों को सरकारी अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहने से पहले विधि अधिकारियों की भूमिका का संज्ञान होना चाहिए – विधि अधिकारी अदालतों और सरकार के बीच संपर्क के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं – वे न केवल एक संस्था के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि सरकार में शामिल विभिन्न विभागों और अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं – संयम बरतना, सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुचित टिप्पणियों से बचना और

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

विधि अधिकारियों के कार्यों को पहचानना एक निष्पक्ष और संतुलित न्यायिक प्रणाली का निर्माण करता है – देश भर के न्यायालयों को अदालतों के समक्ष सरकार और उसके अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारियों के संवैधानिक या पेशेवर अधिदेश को ध्यान में रखते हुए सम्मान और अनुशासन के माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। [पैरा 40, 41, 44]।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-धारा. 2 – सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना – भेद :

धारित किया गया : किसी अदालत के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या प्रक्रिया की 'जानबूझकर अवज्ञा' करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना 'सिविल अवमानना' के बराबर है – आपराधिक अवमानना में किसी न्यायालय के प्राधिकार को 'निंदनीय' बनाना या 'कम करना' ; न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करना; या न्याय प्रशासन में बाधा डालना शामिल है। [पैरा 32]

उद्धरणों और अन्य सन्दर्भों की सूची

पी रामकृष्णन राजू बनाम भारत संघ रिट याचिका
(सिविल) सं. 521/2002; न्यायमूर्ति वी.एस. दवे, अध्यक्ष,
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का संघ बनाम कुसुमजीत सिद्धू और अन्य
अवमानना याचिका (सिविल) सं. 425-426 सन् 2015 ; लीला डेविड बनाम महाराष्ट्र राज्य [2009] 15
एससीआर 317:(2009) 10 एससीसी
337; मो. इक़बाल खंडाली बनाम अब्दुल माजिद राथर [1994]
3 एससीआर 396:(1994) 4 एससीसी 34 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम
मनोज कुमार शर्मा (2021) 7 एससीसी 806 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971

मुख्य शब्द

शक्तियों का पृथक्करण; आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार; सरकारी अधिकारियों को अदालत में तलब करना; रिकॉल आवेदन; घरेलू सहायक के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को दिया जाने वाला भत्ता; उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ; परमादेश रिट; नीति निर्माण; तलब करना; सिविल अवमानना; आपराधिक अवमानना; विधि अधिकारी; न्यायिक

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पुनर्विलोकन; अनुचित टिप्पणियाँ; मानक संचालन प्रक्रिया।

आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित वाद का अन्य विवरण

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 23-24 सन् 2024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूसी सं. 38595 सन् 2011 में दिनांक 04.04.2023 और 19.04.2023 के निर्णय और आदेश से।

उपस्थिति:

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, के.एम. नटराज, ए.एस.जी., शरण देव सिंह ठाकुर, ए.ए.जी., सुश्री. रुचिरा गोयल, सिद्धार्थ ठाकुर, अदित जे. शाह, मुस्तफा सज्जाद, सुश्री. कीर्ति जया, प्रेम प्रकाश, सुश्री. दीपाली नंदा, निशित अग्रवाल, सुश्री. कनिष्का मित्तल, सुश्री. वान्या अग्रवाल, वत्सल जोशी, श्लोक चंद्र, अक्षित प्रधान, राघव शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, राज बहादुर यादव, श्रीमती सुनीता शर्मा, गौरव अग्रवाल, सुश्री. प्रीतिका द्विवेदी, अभिषेक मोहंती, उपस्थित पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़

विषयसूची

- I. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
- II. उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली की अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी
- III. कानूनी उपायों का लाभ उठाने और आदेश को चुनौती देने के लिए किसी पक्ष के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू नहीं की जा सकती.....
- IV. न्यायालयों के समक्ष सरकारी अधिकारियों को तलब करना.....
 1. अनुमति प्रदान की गई।
 2. वर्तमान अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय¹ की खंडपीठ के दो आदेशों दिनांकित 4 अप्रैल

1 "उच्च न्यायालय"

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

2023 और 19 अप्रैल 2023 से उत्पन्न हुई हैं²। आक्षेपित आदेशों ने शक्तियों के पृथक्करण, आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग और सरकारी अधिकारियों को बार-बार अदालत में तलब करने के चलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म दिया है।

3. अपने 4 अप्रैल 2023 दिनांकित आदेश³ द्वारा, उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायकों' से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करें। उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों को अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कानूनी बाधाओं को रेखांकित करते हुए दिनांक 4 अप्रैल 2023 के आदेश को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। अपने आदेश दिनांकित 19 अप्रैल 2023 द्वारा⁴, उच्च न्यायालय ने धारित किया कि रिकॉल आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की। सचिव (वित्त) और विशेष सचिव (वित्त) सहित अदालत में मौजूद अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया और मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए।

1. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

5. आक्षेपित आदेश सन् 2011 में पहले प्रतिवादी, सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का संघ द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष संस्थित एक रिट याचिका से उत्पन्न हुआ है। याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू सहायक के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को दिए जाने वाले भत्ते में वृद्धि की मांग की गई थी।

6. याचिका के उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने **पी रामकृष्णन राजू बनाम भारत संघ**⁵, के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों को देय सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों से संबंधित रिट समूह में निर्णय दिया। दिनांक 31 मार्च 2014 के अपने फैसले में, इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा तैयार की गई योजना की सराहना की और सिफारिश की कि अन्य राज्य भी, अधिमानतः फैसले के छह महीने के भीतर, उच्च

2 "आक्षेपित आदेश"

3 "पहला आक्षेपित आदेश"

4 "दूसरा आक्षेपित आदेश"

5 रिट याचिका (सिविल) सं. 521/2002

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए इसी तरह की योजनाएं बनाएं। न्यायालय ने कहा:

“34. इस आदेश द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों, जिन्होंने पहले से ही ऐसी योजना तैयार की है, द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, हम आशा करते हैं और वे राज्य जिन्होंने अभी तक ऐसा कोई ढांचा नहीं बनाया है, भी स्थानीय स्थितियों के आधार पर, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लाभ के लिए, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर, ऐसी योजना बनाएं।”

(प्रभाव वर्धित)

7. इसके बाद, पी रामकृष्णन राजू (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय के निर्णय का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिकाएँ दायर की गईं। इस न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। दिनांक 27 अक्टूबर 2015 के एक आदेश द्वारा, न्यायमूर्ति वी.एस. दवे, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का संघ बनाम कुसुमजीत सिद्धू और अन्य⁶, के मामले में, इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को यह कहते हुए बंद कर दिया कि उसने न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पहले ही एक योजना तैयार कर ली है। न्यायालय ने आगे कहा कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश योजना में मानदंड से थोड़ा बदलाव स्वीकार्य है और निर्देश दिया कि जो राज्य मानदंड से कम भुगतान कर रहे हैं, वे 'उचित चरण और समय' पर ऊपर की ओर संशोधन पर विचार करेंगे। अदालत ने कहा:

“मेघालय राज्य, मणिपुर, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात और असम उपरोक्त प्रत्येक राज्य की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र/प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार योजना तैयार की गई है।

यद्यपि कुछ राज्य सेवानिवृत्ति के बाद के भत्ते के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य (न्यायालय द्वारा अपनाए गए मानदंड) से अधिक भुगतान कर रहे हैं, कुछ अन्य कम राशि का भुगतान कर रहे हैं। मापदण्ड से थोड़ी भिन्नता को निर्णय के पैरा 33 और 34 में परिकल्पित लचीलेपन के तहत समझा जा सकता है जो राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी योजना बनाने में सक्षम बनाता है। जैसा कि उपरोक्त सभी राज्यों ने अपनी योजनाएं तैयार की हैं,

6 अवमानना याचिका (सिविल) सं. 425-426 2015

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

हम निर्देश देते हैं कि जहां तक इन राज्यों का संबंध है, अवमानना की कार्यवाही बंद की जाती हैं।

हम यह भी निर्देश देते हैं कि ऐसे राज्य जहां भत्ते का भुगतान आंध्र प्रदेश राज्य से कम है, उचित चरण और समय पर एक उध्वगामी संशोधन की आवश्यकता पर विचार करें।”

(प्रभाव वर्धित)

8. उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 3 जुलाई 2018 को एक सरकारी आदेश जारी किया और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को संशोधित किया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को घरेलू सहायक के लिए देय भत्ता बढ़ाकर रु. 20,000/- (प्रति माह) और पूर्व न्यायाधीशों के लिए रु. 15,000/- रुपये (प्रति माह) कर दिया गया। इस संशोधित योजना के तहत, पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की मृत्यु के बाद, जीवित पति या पत्नी जीवन भर क्रमशः रु. 10,000/- और रु. 7,500/- प्रति माह प्राप्त करने के हकदार होंगे। सन् 2022 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने भत्ता बढ़ाकर रु. 50,000 उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के लिए और रु. 45,000 उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए कर दिया। पहले प्रत्यर्थी ने रिट याचिका में प्रार्थनाओं में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दिया और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई योजना के साथ समानता की मांग की।
9. पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि सन् 2019 और सन् 2023 के बीच, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायक प्रदान करने की नियमावली⁷ को प्रस्तावित किया। इस नियमावली की प्रस्तावना में कहा गया है कि इन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया था। नियमावली का ऑपरेटिव भाग, जो वर्तमान मामले के केंद्र में है, इस प्रकार है:
- “ भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायक प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियमावली तैयार किया है।
- ...
- “6. घरेलू सहायक का चयन :** पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार से किसी व्यक्ति को घरेलू सहायक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए चुन सकते हैं/सकती हैं।
- 7. संविदा नियुक्ति :** नियम 6 के तहत घरेलू सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी और यह तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश नियम 5

7 "नियम"

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

के तहत सुविधा का लाभ पाने के हकदार हैं और जब तक घरेलू सहायक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश के प्रमाणीकरण के अधीन संतोषजनक ढंग से कर्तव्यों का पालन करता है।

8. प्रतिपूर्ति : संलग्न होने पर, घरेलू सहायक को देय मासिक पारिश्रमिक उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश को प्रत्येक माह में माह पूरा होने के बाद प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9. मजदूरी : घरेलू सहायक की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश को दी जाने वाली मजदूरी उच्च न्यायालय के चपरासी या महंगाई भत्ते सहित समकक्ष ग्रेड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय वेतन वेतनमान के न्यूनतम के बराबर होगी।।

..."

(प्रभाव वर्धित)

10. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर सुनवाई की, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को तलब किया और दो आक्षेपित आदेशों सहित विभिन्न आदेश पारित किए। आक्षेपित आदेशों से पहले पारित उच्च न्यायालय के आदेश रिट याचिका के विषय पर निर्णय करते समय उच्च न्यायालय के समक्ष घटनाओं को समझने के लिए प्रासंगिक हैं।

11. दिनांक 5 जनवरी 2023 को, उच्च न्यायालय ने पहले प्रत्यर्थी के संशोधन आवेदन को अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, कानून और न्याय को "मामले में तेजी लाने" के लिए रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा :

"विशिष्ट प्रश्न पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार योजना पहले से ही मौजूद है और राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा विधिवत किया जा रहा है। हालाँकि, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दिए जाने वाले लाभों की राशि की मात्रा तब से संशोधित नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन का मामला, यदि कोई हो, उच्चतम स्तर पर विचार किया जाना है।

जैसा भी हो, मामले में तेजी लाने के लिए, इससे पहले कि कोई आदेश पारित किया जाय, यह उचित होगा प्रमुख सचिव, कानून और न्याय, उत्तर प्रदेश, सरकार अभिलेखों सहित उपस्थित हों एवं मामले में राज्य सरकार के रुख से न्यायालय को अवगत कराएं।

संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रिट याचिका की संशोधित प्रति दाखिल करें।"

(प्रभाव वर्धित)

12. जब दिनांक 12 जनवरी 2023 को रिट याचिका पर सुनवाई हुई, तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, कानून और न्याय, उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष यह कहा

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गया कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली विचाराधीन थी, उच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न पूछे गए थे और मामला मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। उच्च न्यायालय ने मामले को दिनांक 19 जनवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध किया और नोट किया "उक्त तिथि पर, यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित समिति द्वारा प्रश्नों/स्पष्टीकरण का समाधान किया जाएगा।" (उच्च न्यायालय की)।

13. दिनांक 19 जनवरी 2023 को, उच्च न्यायालय की ओर से अधिवक्ता दलील दिया कि यद्यपि नियमावली के बारे में प्रश्नों का समाधान उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, राज्य सरकार मामले को लंबे समय तक लंबित रखने के लिए टुकड़ों में प्रश्न उठा रही थी। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि नियमावली में मौजूदा योजना में संशोधन शामिल है और राज्य सरकार द्वारा शीघ्रता से इसकी जांच की जाएगी।
14. अगली तारीख दिनांक 23 मार्च 2023 को उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को दिए गए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को संशोधित करने में और अधिसूचित करने में राज्य सरकार द्वारा की गई देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह वित्त सचिव, उ.प्र. सरकार और प्रमुख सचिव (कानून), उ.प्र. सरकार के साथ फाइल पर विचार करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को अगली तय तारीख पर रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के लिए बुलाने के लिए बाध्य है।"
15. दिनांक 4 अप्रैल 2023 को, उच्च न्यायालय ने पहला आक्षेपित आदेश पारित किया। निर्देशानुसार विशेष सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव, विधि, उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित थे। उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, विधि की इस दलील पर गौर किया कि मामला वित्त विभाग के समक्ष छह बार रखा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। दूसरी ओर, वित्त सचिव ने कहा कि नियमावली मुख्य न्यायाधीश की क्षमता से परे हैं और संविधान के अनुच्छेद 229 के दायरे में नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय ने पाया कि मुख्य न्यायाधीश की क्षमता के संबंध में आपत्ति पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई जा रही है। उच्च न्यायालय ने धारित किया कि:

"5. विद्वान अपर महाधिवक्ता की सहायक से रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं मिली, जिसे इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया हो। दूसरे शब्दों में, वित्त विभाग के अधिकारियों का रवैया न केवल अवमाननापूर्ण है, बल्कि साथ ही माननीय मुख्य न्यायाधीश/अनुच्छेद 229 की योग्यता के संबंध में उनका रुख/प्रस्तुति रिकॉर्ड से प्रतिबिंबित नहीं होती है।"

16. उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की दलीलों को भी दर्ज किया कि वित्त विभाग हाल के दिनों में उच्च न्यायालय की सभी सिफारिशों को रोकने का प्रयास कर रहा था और वित्त विभाग द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों को विधि विभाग के समक्ष उठाया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने कहा:

"6. [...] माननीय मुख्य न्यायाधीश की सक्षमता के मुद्दे को उठाने का अधिकारियों का दुस्साहस न केवल एक सिविल सेवक के लिए अशोभनीय है, बल्कि साथ ही अवमाननाजनक भी है। ये आपत्तियाँ रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं, न ही इन्हें कानूनी सलाह

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के लिए कानून विभाग के ध्यान में लाया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाभ देने का सरकारी आदेश पहले से ही मौजूद है। उच्च न्यायालय का प्रस्ताव केवल पिछले सरकारी आदेश में संशोधन करके, और/या, उसे अधिक्रमण करके अधिसूचित करने की मांग करता है। अनुच्छेद 229 पर अनावश्यक रूप से केवल बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से जोर दिया जा रहा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

17. उच्च न्यायालय ने धारित किया कि नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पी रामकृष्णन राजू (उपरोक्त) और न्यायमूर्ति वी.एस. दवे (उपरोक्त) के मामलों में दिए गए आश्वासन के अनुसार थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि सचिव, वित्त ने माना कि नियमों को दिनांक 3 जुलाई 2018 के सरकारी आदेश में संशोधन या अधिक्रमण करने वाले सरकारी आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस कथित 'अनापत्ति' पर भरोसा किया और निम्नानुसार निर्देश दिया :

“22. वित्त सचिव का कहना है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को नियमावली के रूप में शामिल करते हुए इस आशय का सरकारी आदेश जारी किया जाता है तो वित्त विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि वित्त विभाग को प्रस्तावित नियमावली/दिशानिर्देशों के अनुमोदन में वित्तीय निहितार्थों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

...

25. प्रमुख सचिव विधि एवं सचिव वित्त विभाग के स्पष्ट रुख को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित नियमावली/दिशानिर्देश 3 जुलाई 2018 के सरकारी आदेश को संशोधन/समाविष्ट/अधिक्रमण कर तुरंत अधिसूचित करें।
2. वित्त विभाग उसके बाद एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देगा;
3. शासनादेश की अधिसूचना एवं उसके अनुमोदन को नियत तिथि पर रिकॉर्ड पर रखा जाएगा ;
4. आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में अपर प्रमुख सचिव वित्त एवं आज उपस्थित अधिकारी नियत तिथि पर उपस्थित रहेंगे।”

(प्रभाव वर्धित)

18. उत्तर प्रदेश राज्य ने दिनांक 19 अप्रैल 2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिकॉल आवेदन दायर किया और इस आधार पर पहले आक्षेपित आदेश को वापस लेने की मांग की कि :

क. उच्च न्यायालय के पास उपरोक्त निर्देश पारित करने की शक्ति नहीं थी;

ख. नियमावली संविधान के अनुच्छेद 229 के दायरे में नहीं आती;

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ग. नियमों को अधिसूचित करने और उसके बाद वित्त विभाग को मंजूरी देने के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमों को अधिसूचित करने से पहले वित्त विभाग की सहमति/सलाह लेनी होगी; और

घ. केवल संसद और केंद्र सरकार ही उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित कानून/नियमावली बनाने में सक्षम हैं।

19. दिनांक 19 अप्रैल 2023 को उच्च न्यायालय ने दूसरा आक्षेपित आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपर मुख्य सचिव (वित्त) उपस्थित नहीं थे, जबकि सचिव (वित्त) और विशेष सचिव (वित्त), जो पिछली तारीख पर भी उपस्थित हुए थे, उपस्थित थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले आक्षेपित आदेश की तारीख पर, वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि वर्ष 2018 में जारी सरकारी आदेश को संशोधित या परिवर्धित किया जाता है तो उन्हें "कोई आपत्ति नहीं" है। उच्च न्यायालय के अनुसार, रिकॉल आवेदन "प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना" है, क्योंकि इसमें प्रथम आक्षेपित आदेश का अनुपालन न करने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा :

“ 30. पूरे हलफनामे के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी आदेश के किस भाग को वापस लेना चाहते हैं, बल्कि उसमें की गई प्रार्थना पूरे आदेश को वापस लेने की है, लेकिन पूरा आदेश कैसे अवांछनीय है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। दूसरे शब्दों में, आज जो हलफनामा दायर किया गया है वह झूठा, और भ्रामक है और इसमें किए गए प्रकथन प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना है।

31. विशिष्ट प्रश्न पर, न्यायालय में उपस्थित अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड के अवलोकन पर यह सूचित किया गया है कि दिनांक 4 अप्रैल 2023 के आदेश के अनुसार, मुख्य सचिव ने दिनांक 13 अप्रैल 2023 को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। महाधिवक्ता ने आदेश का पालन करने की राय दी थी। इसके अलावा, कानून विभाग के कार्यालय ने दिनांक 6 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रस्तावित सरकारी आदेश/संशोधन को वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया था। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत नियमावली बनाने का नहीं है। इन तथ्यों को दबा दिया गया है। अधिकारियों के रुख के अनुसार, विधि विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही मामला कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, हलफनामा न केवल झूठा है, बल्कि भ्रामक भी है क्योंकि हलफनामे में यह खुलासा नहीं किया गया है कि कानून विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी गई या इसे मंजूरी न देने का कारण क्या है, बल्कि इसके संबंध में तुच्छ मुद्दे उठाए गए हैं जैसे सरकारी आदेश को अधिसूचित करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या संविधान के अनुच्छेद 229 के मुद्दे। शपथ पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विधि विभाग द्वारा प्रस्तावित शासनादेश को आज तक वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित क्यों नहीं किया गया। वित्त विभाग के अधिकारियों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अनुपालन नहीं किया जाएगा और वे अपने अति उत्साही दृष्टिकोण और अड़ियल रवैये के कारण बिना किसी वैध आधार के रिट न्यायालय के आदेश के अनुपालन का विरोध कर रहे हैं।

32. इन परिस्थितियों में, हलफनामे में दिए गए कथनों और अधिकारियों के आचरण को ध्यान में रखते हुए, भौतिक तथ्यों को छिपाना और न्यायालय को गुमराह करना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय की आपराधिक अवमानना है।

(प्रभाव वर्धित)

20. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अदालत में मौजूद अधिकारियों, सचिव (वित्त) और विशेष सचिव (वित्त) को हिरासत में लिया जाए और आरोप तय करने के लिए अगले दिन अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा, अदालत ने अगले दिन अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (वित्त) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

21. उपरोक्त आदेश दिनांकित 4 अप्रैल 2023 एवं 19 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है। दिनांक 20 अप्रैल 2023 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, को रिहा करने का निर्देश दिया गया। इस न्यायालय ने निर्देश दिया :

"4 .सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 4 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल 2023 दिनांकित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।

5. उत्तर प्रदेश सरकार के जिन अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाएगा

6. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) तत्काल अनुपालन के लिए इस न्यायालय के आदेश को टेलीफोन और ईमेल दोनों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सूचित करेंगे।

22. हमने भारत संघ की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता के साथ , अपर सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ की ओर से श्री निशित अग्रवाल, और प्रशासनिक ओर उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित सुश्री प्रीतिका द्विवेदी को सुना।

23. पक्षों द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, कानून के निम्नलिखित व्यापक बिंदु हमारे विचार के लिए सामने आते हैं:

(i) क्या उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश देने की शक्ति थी;

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

- (ii) क्या उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ इस आधार पर आपराधिक अवमानना की शक्ति लागू की जा सकती है कि रिकॉल आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था; और
- (iii) व्यापक दिशानिर्देश जो अदालतों को उस समय निर्देशित करे जब वे अदालत के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति का निर्देश देते हैं।

II. उच्च न्यायालय के पास मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित किए जाने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी

24. मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियमावली संविधान के अनुच्छेद 229 के अनुसरण में बनाई गई है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के 'अधिकारियों और सेवकों' से संबंधित है। अनुच्छेद 229(2) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इस उद्देश्य के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अनुच्छेद के परंतुक में कहा गया है कि अनुच्छेद 229(2) के तहत बनाए गए नियमों को राज्य के राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जहां तक वे वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित हैं। प्रावधान इस प्रकार है:

229. उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय- (1) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे :

परंतु उस राज्य का राज्यपाल नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाएँ, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएँ:

परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए, जहाँ तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित है, उस राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(3) उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसों और अन्य धनराशियाँ उस निधि का भाग

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

होंगी।

(प्रभाव वर्धित)

25. अनुच्छेद 229(2) केवल उच्च न्यायालयों के 'अधिकारियों और सेवकों' की सेवा शर्तों से संबंधित है और इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश दोनों) शामिल नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश के पास अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को देय सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति नहीं है। इसलिए, वर्तमान मामले में मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियम अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायाधीश की क्षमता के अंतर्गत नहीं आते हैं। नियमों की प्रस्तावना में प्रावधान पर निर्भरता गलत है।
26. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि केवल इसलिए कि शक्ति का प्रयोग करते समय कानून के गलत प्रावधान का संदर्भ दिया गया है, वह अपने आप में शक्ति के प्रयोग को तब तक दूषित नहीं करता जब तक कि प्राधिकार की शक्ति विधि के किसी अन्य स्रोत में न हो। हालाँकि, नियमावली, आक्षेपित आदेशों या इस न्यायालय के समक्ष अपने दलील में, उच्च न्यायालय ने कानून के किसी अन्य स्रोत का हवाला नहीं दिया जो मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बाध्यकारी नियम बनाने का अधिकार देता है। आक्षेपित आदेशों में, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर नियमावली थोपने को उचित ठहराने के लिए **पी केवल रामकृष्णन राजू** (उपरोक्त) और **न्यायमूर्ति वी.एस. दवे** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया है।
27. हमारी सुविचारित राय में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियमावली की उद्घोषणा को उचित ठहराने के लिए इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता इस न्यायालय के निर्देशों की गलत और अत्यधिक विस्तृत व्याख्या पर आधारित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस न्यायालय ने **पी रामकृष्णन राजू** (उपरोक्त) के मामले में आंध्र प्रदेश में योजना की सराहना की और कहा कि न्यायालय को आशा और विश्वास है कि *जिन राज्यों ने अब तक ऐसी योजना नहीं बनाई है, वे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसे बनाएंगे।* आगे **न्यायमूर्ति वी.एस. दवे** (उपरोक्त), के मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को यह कहते हुए बंद कर दिया कि राज्य ने पहले ही सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए एक योजना तैयार कर ली है। न्यायालय ने माना कि आंध्र प्रदेश में अपनाई गई योजना में थोड़ा बदलाव स्वीकार्य था और **पी रामकृष्णन राजू** (उपरोक्त) के मामले में राज्यों को अपनी-अपनी योजना तैयार करने के लिए लचीलेपन पर विचार किया गया था।

इसके अलावा, अदालत ने यह निर्देश दिया " *जिन राज्यों में भुगतान किए जाने वाले भत्ते आंध्र प्रदेश राज्य से कम हैं, वे उचित चरण और समय पर ऐसे भत्तों में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर विचार करेंगे।*"

28. इसमें रंचमात्र संदेह नहीं है कि उपरोक्त निर्णयों में, इस न्यायालय ने राज्य सरकारों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों ने प्रशासनिक पक्ष पर कार्य करते हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लाभों के बारे में नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की, जिन्हें अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने लचीलेपन की आवश्यकता को पहचाना और राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों का विधिवत ध्यान रखने की छूट दी।

29. इसके अलावा, आक्षेपित आदेशों में न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय का आचरण भी गलत था। उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करते हुए, कार्यपालिका के कार्यों को छीन नहीं सकता है और कार्यपालिका को उसके द्वारा निर्देशित तरीके से अपनी नियम-निर्माण शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। पहले आक्षेपित आदेश में राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख तक नियमों को अनिवार्य रूप से अधिसूचित करने के लिए बाध्य करना वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के समान था। उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश अस्वीकार्य हैं और संविधान द्वारा परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत हैं। उच्च न्यायालय राज्य सरकार को परमादेश रिट या अन्यथा किसी विशेष विषय पर नियम बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है।
30. उच्च न्यायालय, न्यायिक पक्ष पर कार्य करते हुए, राज्य सरकार को अपनी प्रशासनिक शक्तियों के कथित प्रयोग में मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सरकार द्वारा नीति निर्धारण में विभिन्न कदमों और स्थानीय परिस्थितियों, वित्तीय विचारों और विभिन्न विभागों से अनुमोदन सहित विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को डराने-धमकाने के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। चूंकि नियमावली को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बिना सक्षमता के प्रख्यापित किया गया था, अधिक से अधिक, वे राज्य सरकार के लिए इनपुट के बराबर थे। राज्य सरकार अपने निर्णय लेने वाले तंत्र के भीतर नियमों की वांछनीयता पर रचनात्मक रूप से विचार करने के लिए स्वतंत्र थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने नियमों पर विचार करने और जारी करने में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को बार-बार बुलाकर और आपराधिक अवमानना की आशंका के तहत नियमों को निश्चित तिथि तक अधिसूचित करने के निर्देश देकर अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया।

III. कानूनी उपायों का लाभ उठाने और किसी आदेश को कानूनी चुनौती देने पर किसी पक्ष के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू नहीं की जा सकती है।

31. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 'सिविल अवमानना' और 'आपराधिक अवमानना' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:

2. परिभाषाएँ — इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

[...]

(ख) "सिविल अवमानना" का अर्थ है किसी अदालत के किसी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जानबूझकर उल्लंघन करना;

(ग) "आपराधिक अवमानना" का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे बोले गए शब्दों द्वारा, या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो कि—

(i) किसी भी न्यायालय को लांछित करता है या लांछित करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित प्रक्रिया में पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(iii) किसी न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है किसी भी तरीके से;

32. अधिनियम दो प्रकार की अवमानना के बीच स्पष्ट अंतर करता है। किसी अदालत के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या प्रक्रिया की 'जानबूझकर अवज्ञा' करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना 'सिविल अवमानना' के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर, 'आपराधिक अवमानना' की सीमा ऊंची और अधिक कठोर है। इसमें किसी भी न्यायालय के अधिकार को 'लांछित करना' या 'कम करना', न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह पैदा करना या हस्तक्षेप करना; या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालना शामिल है।

33. दूसरे आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने माना कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के कार्य आपराधिक अवमानना हैं क्योंकि पहले के आदेश का पालन न करने का कोई "वैध कारण" नहीं था। भले ही उच्च न्यायालय का आकलन मान लिया जाए, प्रथम आक्षेपित आदेश का गैर-अनुपालन अधिक से अधिक, सिविल अवमानना हो सकती है। उच्च न्यायालय इस बारे में कोई तर्क देने में विफल रहा कि प्रथम आक्षेपित आदेश का कथित गैर-अनुपालन आपराधिक अवमानना के मानक को पूरा करने की प्रकृति का कैसे था। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना का आरोप लगाकर और उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश देकर जल्दबाजी की।

34. हालाँकि, हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों में सिविल अवमानना के मानक भी पूरे नहीं किए गए। मिसाल की एक सुसंगत पंक्ति में, इस न्यायालय ने धारित किया है कि अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करते समय, अदालत को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब अवमाननापूर्ण आचरण का स्पष्ट मामला हो कि कथित अवमाननाकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए। अवमानना कार्यवाही शुरू करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति का उपयोग पक्षकारों या उनके अधिवक्ता को कानूनी उपायों का लाभ उठाने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।

35. वर्तमान मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य रिकॉल आवेदन दायर करने के अपने वैध उपाय का लाभ उठा रहा था। रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन सदिच्छापूर्ण ढंग से दायर किया गया था। वित्त

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

विभाग ने न केवल उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य न्यायाधीश की क्षमता के संबंध में अपनी चिंताएं उठाई थीं, बल्कि विभाग की फाइल नोटिंग और केंद्र सरकार को लिखे पत्रों सहित इसके पिछले आचरण से संकेत मिलता है कि यह आपत्ति उनके द्वारा पहले भी उठाई गई थी। रिकॉल आवेदन में सरकार द्वारा अपनाई गई कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से उनके कानूनी उपचार का लाभ उठाने की इच्छा पर आधारित थी, न कि जानबूझकर पहले आक्षेपित आदेश की अवज्ञा करने पर।

36. प्रथम आक्षेपित आदेश के अनुपालन में कानूनी बाधाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उच्च न्यायालय द्वारा कभी निर्णय नहीं लिया गया। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने आपत्ति को न्याय में बाधा डालने का प्रयास माना, कारण बताने का कोई सरसरी प्रयास भी नहीं किया। ऊपर उल्लिखित मानकों को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य 'आपराधिक अवमानना' तो दूर, 'सिविल अवमानना' भी नहीं थे। परिस्थितियाँ निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी कि उच्च न्यायालय को अदालत के समक्ष उपस्थित अधिकारियों को हिरासत में लेने का निर्देश देना पड़े। हालाँकि, यह सारांश प्रक्रिया, न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुमत है, इसे नियमित मामले के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और यह केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए आरक्षित है।
37. ऐसी सारांश प्रक्रिया, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लीला डेविड बनाम महाराष्ट्र राज्य⁸, के मामले में धारित किया, केवल असाधारण मामलों में ही लागू की जा सकती है, जैसे ऐसे उदाहरण जहां:

“36.....अपने आचरण को स्पष्ट करने का अवसर दिए जाने के बाद, न केवल अवमाननाकर्ताओं ने अपने अनुचित व्यवहार के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने एक नई रिट याचिका दायर की, जिसमें पहले की गई निंदनीय टिप्पणियों को दोहराने के अलावा, न्यायालय को और अधिक बदनाम करने, कलंकित करने और भयभीत करने के लिए कुछ नए अनुचित और असंयमित भाषा के प्रयोग का सहारा लिया गया है। ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि अवमाननाकर्ताओं ने न्यायालय द्वारा उन्हें दिखाए गए उदार रवैये को अशोभनीय व्यवहार में शामिल होने और न केवल न्यायपालिका के खिलाफ बल्कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने के लाइसेंस के रूप में लिया है।”

मौजूदा मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इसलिए, आपराधिक अवमानना का प्रयोग और सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लेना उचित नहीं था।

IV. न्यायालयों के समक्ष सरकारी अधिकारियों को तलब करना

38. निष्कर्ष निकालने से पहले, हमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को बार-बार तलब करने के उच्च न्यायालय के आचरण पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां सरकार एक पक्ष होती है और केवल

सीमित परिस्थितियों में ही इसका सहारा लिया जा सकता है, अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को एक नियमित उपाय नहीं बनाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों को तलब करने की शक्ति का उपयोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, खासकर अवमानना की धमकी के तहत।

39. न्यायालय को अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या राज्यों के महाधिवक्ता जैसे विधि अधिकारियों के हलफनामे या निर्देशों पर सहमति के बिना, अदालत में सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए शपथपत्रों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। सरकारी अधिकारियों की भौतिक उपस्थिति के लिए कहने से पहले अदालतों को विधि अधिकारियों की भूमिका का संज्ञान होना चाहिए।
40. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह केंद्र सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हुए सलाहकार क्षमता में कार्य करता है। अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारियों में कानूनी मामलों पर सलाह देना, सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करना और विभिन्न अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत, महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करता है। सॉलिसिटर जनरल, अपर सॉलिसिटर जनरल और राज्यों के अपर महाधिवक्ता सहित कई अन्य विधि अधिकारी भी संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के विभिन्न विभागों से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं और न्यायालयों के समक्ष सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
41. विधि अधिकारी अदालतों और सरकार के बीच संपर्क के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। वे न केवल एक संस्था के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि सरकार में शामिल विभिन्न विभागों और अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस न्यायालय को मो. इकबाल खंडाली बनाम अब्दुल माजिद राथर⁹, के मामले में इस पर विचार करने का अवसर मिला कि अपर महाधिवक्ता को अवमानना याचिका में अपीलकर्ता के लिए उपस्थित न होने का निर्देश देने और यह निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं था कि उन्हें केवल अदालत की सहायता करनी चाहिए।
42. वर्तमान मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलफनामे पर ली गई कानूनी स्थिति पर निर्णय लेने या अदालत में मौजूद अपर महाधिवक्ता को सुनने के बजाय, उच्च न्यायालय ने बार-बार सरकारी अधिकारियों को तलब किया। सरकार को कथित तौर पर उच्च न्यायालय के समक्ष वित्त विभाग के अधिकारियों की "अनापत्ति" के आधार पर नियमावली को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया गया था, जिसे अब राज्य ने चुनौती दी है। ऐसी स्थितियों से उन मामलों में बचा जा सकता है जहां हलफनामे पर दलीलें मांगी जा सकती हैं और

सरकार के विधि अधिकारी इंस्ट्रक्शन के साथ अदालत में मौजूद हैं। मुख्य सचिव सहित उन अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा जमानती वारंट जारी करना, जिन्हें पहले तलब भी नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा सरकार पर अनुचित दबाव बनाने के प्रयास को इंगित करता है।

43. इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज कुमार शर्मा¹⁰, के मामले में सरकारी अधिकारियों को " जरा जरा सी बात पर" तलब करने पर नाराजगी जताई। इस न्यायालय ने कहा:

“17. कुछ उच्च न्यायालयों में अधिकारियों को जरा जरा सी बात पर बुलाने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव डालने की एक प्रथा विकसित हुई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की रेखा को, अधिकारियों को तलब कर और एक तरह से न्यायालय की इच्छा के अनुसार आदेश पारित करने के लिए दबाव डालकर, पार करने की कोशिश की जाती है।

18. कार्यपालिका के सार्वजनिक अधिकारी भी शासन के तीसरे अंग के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य या निर्णय उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में और प्रशासन के हित में, कुछ निर्णय लिए जाने ही होते हैं। उच्च न्यायालय के पास उन निर्णयों को रद्द करने का विकल्प हमेशा होता है जो न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लेकिन अधिकारियों को बार-बार तलब करना बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए।

...

21. इस प्रकार, हमारा मानना है कि अब यह दोहराने का समय आ गया है कि सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से अदालत में तलब नहीं किया जाना चाहिए। किसी अधिकारी को न्यायालय में बुलाये जाने से न्यायालय की गरिमा और महिमा नहीं बढ़ती। न्यायालय के प्रति सम्मान होना चाहिए लेकिन इसे सार्वजनिक अधिकारियों को तलबकर के नहीं लिया जा सकता है। सरकारी अधिकारी को तलब करने से अन्य आधिकारिक व्यस्तताओं पर असर पड़ता है जिन पर उन्हें ध्यान देना होता है। कई बार अधिकारियों को लंबी यात्रा भी करनी पड़ती है। अतः अधिकारी को तलब करना जनहित के विरुद्ध है क्योंकि इससे उसे सौंपे गए कई महत्वपूर्ण कार्यों में देरी होती है, जिसमें उन्हें अपनी राय देनी होती है। न्यायालयीय कार्यवाही में भी देरी होती है क्योंकि वर्तमान में अदालत में नियत समय पर सुनवाई का कोई तंत्र नहीं है। न्यायालय के पास कलम की ताकत होती है जो न्यायालय में एक अधिकारी की उपस्थिति से ज्यादा असरदार होती है। यदि अदालत के समक्ष विचारण के लिए कोई विशेष मुद्दा है जिसका राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं, तो यह सलाह दी जाती है ऐसे

10 (2021) 7 एससीसी 806

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संदेह को आदेश में लिखें और राज्य या उसके अधिकारियों को जवाब देने का समय दें। ”

(प्रभाव वर्धित)

44. अदालतों को पहले उपाय के रूप में अधिकारियों को तलब करने से बचना चाहिए। यद्यपि सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य और निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, अधिकारियों को बिना उचित कारण के बार-बार तलब करना स्वीकार्य नहीं है। संयम बरतना, सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुचित टिप्पणियों से बचना और विधि अधिकारियों के कार्यों को पहचानना एक निष्पक्ष और संतुलित न्यायिक प्रणाली में योगदान देता है। देश भर की अदालतों को विधि अधिकारियों के संवैधानिक या पेशेवर अधिदेश पर विचार करते हुए सम्मानजनक और पेशेवर माहौल बनाना चाहिए, जो अदालतों के समक्ष सरकार और उसके अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारियों पर भरोसा करने के बजाय सरकार के अधिकारियों को लगातार तलब करना संविधान द्वारा परिकल्पित योजना के विपरीत है।
45. मेरे सम्मानित सहयोगियों न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ चर्चा में साझा की गई बहुमूल्य अंतर्दृष्टि से समृद्ध होकर, हमने विशेष रूप से अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों को तलब करने के विषय पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। अपने मूल में, यह एसओपी अदालतों द्वारा निरंतरता और संयम बरतने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देती है। इसका उद्देश्य एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करना, अदालतों को सरकारी अधिकारियों को बार-बार तलब करने से दूर रखना और उनके कामकाज में परिपक्वता को बढ़ावा देना है। एसओपी नीचे दी गई है:

अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

यह मानक संचालन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और उनके संबंधित अपीलीय और/या मूल क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करने वाली अन्य सभी अदालतों या अदालत की अवमानना से संबंधित कार्यवाहियों में सरकार से जुड़ी सभी अदालती कार्यवाहियों पर लागू होती है।

1. किसी विवाद के निर्णय के लंबित रहने के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति

1.1 रिकॉर्ड पर लिए गए साक्ष्य की प्रकृति के आधार पर, कार्यवाही को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. **साक्ष्य-आधारित न्यायनिर्णयन** : इन कार्यवाहियों में दस्तावेज़ या मौखिक बयान जैसे साक्ष्य शामिल होते हैं। इन कार्यवाहियों में, एक सरकारी अधिकारी को गवाही के लिए या प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है। प्रक्रिया के नियम, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, इन कार्यवाहियों को नियंत्रित करते हैं।

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ख. **सारांश कार्यवाही** : ये कार्यवाही, जिन्हें अक्सर सारांश कार्यवाही कहा जाता है, हलफनामों, दस्तावेजों या रिपोर्टों पर निर्भर करती हैं। वे आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायालय के नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं।

ग. **गैर-प्रतिकूल कार्यवाही** : गैर-प्रतिकूल कार्यवाही की सुनवाई करते समय, अदालत को एक जटिल नीति या तकनीकी मामले को समझने के लिए सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है जिसे सरकार के विधि अधिकारी संबोधित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

1.2 उपरोक्त पैरा 1.1(क) के अंतर्गत आने वाले मामलों के अलावा, यदि विषय को हलफनामों और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, तो भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं हो सकती है और इसे नियमित उपाय के रूप में निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए।

1.3 सरकारी अधिकारी की उपस्थिति को अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे मामलों में निर्देशित किया जा सकता है जहां अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि विशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है या जानबूझकर रोकी गई है, या सही स्थिति को दबाया जा रहा है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है

1.4 अदालत को किसी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश केवल इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि हलफनामे में अधिकारी का रुख अदालत के दृष्टिकोण से भिन्न है। ऐसे मामलों में, यदि मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर मामले को हल किया जा सकता है, तो उसके अनुसार मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

2. व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने से पहले की प्रक्रिया

2.1 असाधारण मामलों में जहां अदालत द्वारा किसी सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित है, अदालत को पहले विकल्प के रूप में, अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके सामने पेश होने की अनुमति देनी चाहिए।

2.2 वीसी उपस्थिति और देखने के लिए के लिए आमंत्रण लिंक, जैसा भी मामला हो, अदालत की रजिस्ट्री द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर एसएमएस/ईमेल/व्हाट्सएप द्वारा निर्धारित सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले भेजा जाना चाहिए।

2.3 जब किसी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया जाए, तो कारण दर्ज किया जाना चाहिए कि ऐसी उपस्थिति क्यों आवश्यक है।

2.4 व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए उचित सूचना, ऐसी उपस्थिति के लिए पर्याप्त समय देते हुए, अधिकारी को अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए। इससे अधिकारी तैयार होकर आ सकेंगे और उस मामले के उचित निर्णय के लिए अदालत को उचित सहायता प्रदान कर सकेंगे जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है।

3. सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान प्रक्रिया:

ऐसे मामलों में जहां अदालत किसी अधिकारी या पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देती है, निम्नलिखित

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रक्रियाओं की सिफारिश की जाती है :

3.1 **निर्धारित समय स्लॉट:** अदालत को, जहां तक संभव हो, उन मामलों पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट समय स्लॉट निर्दिष्ट करना चाहिए जहां किसी अधिकारी या पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है।

3.2 **अधिकारियों का आचरण:** कार्यवाही में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों को सुनवाई के दौरान खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। खड़े होने की आवश्यकता केवल तभी होनी चाहिए जब अधिकारी अदालत में जवाब दे रहा हो या बयान दे रहा हो।

3.3 कार्यवाही के दौरान, अधिकारी को अपमानित करने की क्षमता वाली मौखिक टिप्पणियों से बचना चाहिए।

3.4 न्यायालय को उसके समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकारी की शारीरिक बनावट, शैक्षिक पृष्ठभूमि, या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

3.5 न्यायालयों को सम्मानजनक और पेशेवर वातावरण विकसित करना चाहिए। अदालत के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकारी की पोशाक पर टिप्पणी करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि उनके कार्यालय पर लागू निर्दिष्ट ड्रेस कोड का उल्लंघन न हो।

4. सरकार द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन की समयावधि

4.1 जटिल नीतिगत मामलों से जुड़े न्यायिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। न्यायालय को अपने आदेशों के अनुपालन के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने से पहले इन जटिलताओं पर विचार करना चाहिए। अदालत को मामले की विशिष्टताओं के अनुसार उचित समय-सीमा स्वीकार करनी चाहिए और उसे समायोजित करना चाहिए।

4.2 यदि कोई आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, और सरकार निर्दिष्ट समय सीमा में संशोधन चाहती है, तो अदालत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है और न्यायिक आदेशों के अनुपालन के लिए एक संशोधित, उचित समय सीमा की अनुमति दे सकती है, जिससे संशोधनों पर विचार करने के लिए सुनवाई की अनुमति मिल सके।

5. प्रवर्तन/अदालत की अवमानना कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति

5.1 अदालत को अवमानना कार्यवाही शुरू करते समय सावधानी और संयम बरतना चाहिए, एक विवेकपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए।

5.2 **अवमानना का प्रारंभिक निर्धारण :** अपने आदेश की जानबूझकर अवज्ञा द्वारा अवमानना के लिए शुरू की गई कार्यवाही में, अदालत को तुरंत व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के बजाय, कथित अवमाननाकर्ता को नोटिस जारी करना चाहिए, उनके कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5.3 नोटिस और उसके बाद की कार्रवाइयां: नोटिस जारी होने के बाद, अदालत को कथित अवमाननाकर्ता की प्रतिक्रिया पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। उसकी प्रतिक्रिया या उसकी अनुपस्थिति के आधार पर, उसे उचित कार्रवाई पर निर्णय लेना चाहिए। आरोप की गंभीरता के आधार पर, अदालत अवमाननाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकती है।

5.4 प्रक्रिया जब व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया जाता है : जिन मामलों में किसी सरकारी अधिकारी की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए अग्रिम सूचना प्रदान करनी चाहिए, जिससे तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हालाँकि, अदालत को पहले विकल्प के रूप में अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके सामने पेश होने की अनुमति देनी चाहिए।

5.5 गैर-अनुपालन पर विचार : अदालत को प्रक्रियात्मक देरी या तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए गैर-अनुपालन के मामलों का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि मूल आदेश में निर्दिष्ट अनुपालन समय सीमा का अभाव है, तो अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित विस्तार देने पर विचार करना चाहिए।

5.6 जब आदेश अनुपालन की समय सीमा निर्दिष्ट करता हो और कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हों, तो अदालत को अवमाननाकर्ता को जारीकर्ता अदालत या संबंधित अपीलीय/उच्च न्यायालय के समक्ष विस्तार या स्थगन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए।

46. संक्षेप में, इस निर्णय में जो निष्कर्ष निकले वे इस प्रकार हैं:

क. उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश के पास संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत नियमावली बनाने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा, न्यायिक पक्ष पर कार्य करते हुए, उच्च न्यायालय के पास सरकार को प्रशासनिक पक्ष पर उसके द्वारा प्रस्तावित नियमावली बनाने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है।

ख. उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की शक्ति इस आधार पर लागू नहीं की जा सकती थी कि पहले आक्षेपित आदेश को वापस लेने का आवेदन 'अवमाननापूर्ण' था। अधिकारियों के कार्य 'आपराधिक अवमानना' और 'सिविल अवमानना' दोनों के मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

ग. अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार तलब करने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारियों या हलफनामे पर सरकार की दलीलों पर भरोसा करने के बजाय अधिकारियों को बार-बार तलब करना, संविधान द्वारा परिकल्पित योजना के विपरीत है।

घ. इस निर्णय के पैरा 45 में अदालत की कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में इस न्यायालय द्वारा बनाई गई एसओपी का देश भर की सभी अदालतों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। सभी उच्च न्यायालय ऊपर तैयार की गई एसओपी को ध्यान में रखते हुए, अदालत में

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

- सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए नियमावली बनाने पर विचार करेंगे।
47. दिनांक 4 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल 2023 के दोनों आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं और अपीलें निस्तारित की जाती हैं। इस फैसले में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर उच्च न्यायालय रिट याचिका पर सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
48. रजिस्ट्री को प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्णय सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।
49. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

.....

भारत के मुख्य न्यायाधीश

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

.....

[न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला]

.....

[न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा]

नई दिल्ली;

03 जनवरी 2024

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"